

- 10/B समीना पुत्री रमजानी पत्नी जलालुदीन
नि० दादुबासनी
- 10/C मुमताज पुत्र रमजानी के वारिसान
- 10/C/1 हाजरा पत्नी स्व० मुमताज
- 10/C/2 रजिया पुत्र स्व० मुमताज पत्नी
हारून नि० खातिया बासनी
- 10/C/3 आसमा पुत्री मुमताज पत्नी जाकिर
नि० खातिया बासनी
- 10/C/4 मो० इमरान पुत्र मुमताज
- 10/C/5 मो० अल्ताफ पंवार पुत्र मुमताज
- 10/D राबिया पुत्री रजमाजी पत्नी मो०
असलम के वारिसान
- 10/D/1 तसलीम पुत्री राबिया पत्नी उस्मान
निवासी खुनखुना
- 10/D/2 अफसाना पुत्री राबिया पत्नी अहमद
अली निवासी खुनखुना
- 10/D/3 नाजमीन बानो पुत्री राबिया पत्नी
मो० नासीर निवासी बालिया
- 10/D/4 उरमिशा पुत्री राबिया
- 10/D/5 सलीम खान पुत्र राबिया
11. अब्दुल सतार पुत्र स्व० सुल्तान
12. याकुब अली पुत्र स्व० सुल्तान
13. मो० युसुफ पुत्र स्व० सुल्तान समस्त
जातिगण देशवाली निवासीगण रामसाबास
तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-
कुचामन राजस्थान
14. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-188, 53, 88

दिनांक 04.12.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादी व श्री विकास सैनी वकील प्रतिवादी सं० 1, 2A 7, 8, 11, 12, 13 व श्री श्रीराम वकील प्रतिवादीगण की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है दावा डिक्री सादिर कर दावा डिक्री सादिर कर सरहद रामसाबास, पटवार हल्का बालिया भू०अभि०नि० क्षेत्र निम्बी कलां के खेत खसरा सं० 302 रकबा 1.2900 हैक्टे०, खसरा सं० 407 रकबा 4.1000 हैक्टे०, खसरा सं० 287 रकबा 0.1883 हैक्टे०, खसरा सं० 409 रकबा 2.7500 हैक्टे०, खसरा सं० 517/287 रकबा 0.0242 हैक्टे० गै०मु० रास्ता, खसरा सं० 518/287 रकबा 0.1375 हैक्टे०, खसरा सं० 636/22 रकबा 1.6300 हैक्टे०, खसरा सं० 107 रकबा 3.5900 हैक्टे०, खसरा सं० 82 रकबा 0.5200 हैक्टे०, खसरा सं० 259 रकबा 2.6700 हैक्टे०, खसरा सं० 12 रकबा 1.2200 हैक्टे०, खसरा सं० 13 रकबा 1.4700 हैक्टे०, खसरा सं० 14 रकबा 2.3400 हैक्टे०, खसरा सं० 15 रकबा 1.1800 हैक्टे०, खसरा सं० 290 रकबा 0.3600 हैक्टे०, खसरा सं० 34 2.2400 हैक्टे०, खसरा सं० 41 रकबा 1.5700 हैक्टे०, खसरा सं० 413 रकबा 0.2300 हैक्टे०, खसरा सं० 251 रकबा 0.0500 हैक्टे० व सरहद लाडाबास के खेत खसरा सं० 257/425 रकबा 2.1900 हैक्टे० की भूमि में राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं व खसरा सं० 257/425 वाकै सरहद लाडाबास में प्रतिवादी सं० 5 व 6 का नाम बोदू व कालू के स्थान पर जमालुदीन व कमालुदीन पुत्र निजाम दुरुस्त किया जाता है। हक तर्क करने वाले प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाता है। ~~राजस्व~~ निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार रेकर्ड दुरुस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकद्दम के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे
दस्तख्त व महर अदालत के आज की तारीख 04.12.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।



WKS
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना